जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अ.अ.-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 612 दिनांक : 20-6-2002

आदेश

विषय :- विद्युत चोरी करते पाये जाने पर सामान्य श्रेणी की वरीयता समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

विद्युत चोरी करते पाये जाने पर कृषकों/आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा संख्या 15 के अनुसार सामान्य श्रेणी की वरीयता से उनका नाम हटाने का प्रावधान है ।

इस संबंध मे समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3/6/2002 मे कृषको को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अब जिन कृषको द्वारा अनाधिकृत विद्युत उपभोग किये जाने पर विजिलेंस रिपोर्ट (VCR) दिनांक 31.3.2002 तक दर्ज की जा चुकी है उनमें से यदि कोई कृषक कनेक्शन लेना चाहे तो उन्हें स्पेशल स्कीम में कनेक्शन कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाने के पश्चात जारी कर दिया जावे । इन कृषको से इनकी वरीयता से नीचे वाले साधारण श्रेणी के कनेक्शन जारी होने तक स्पेशल स्कीम मे बिलिंग किया जावेगा । तत्पश्चात ही इन कृषको को साधारण श्रेणी की मीटर प्रणाली से बिलिंग किया जावेगा ।

विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरणों को विशेष राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व मे जारी आदेश संख्या आर.ई.ओ. 12 दिनांक 10/5/2002 के बिन्दु संख्या 2(अ) मे आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रकरणों के आवेदन पत्र विशेष स्कीम के तहत संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय मे पंजीकृत कर लिये जायें ।

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

(एच०एस०देवड़ा)
उप-मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।